कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग
जनपद– वाराणसी / जौनपुर / गाजीपुर / चन्दौली / मऊ / बलिया / संतकबीर नगर / संतरविदास नगर।

पत्रांक /इपीडी0/ ग्लैण्डर्स /2017–18 दिनांक

विषयः– ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियेन्स योजना से सम्बन्धित फोटोग्राफ एवं अन्य सूचना न भेजने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत 2016–17 में ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियेन्स योजना उ0प्र0 शासन की स्वीकृति उपरान्त विभाग में प्रारंभ की गयी थी, तत्क्रम में जनपदीय अधिकारियों योजना के बारे में दिशानिर्देश एवं तकनीकी जानकारी पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। योजना के सघन अनुश्रवण के लिये दिनांक– 26.04.2017 को मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारियों की निदेशालय के मीटिंग हाल में बैठक आहुत की गयी थी।

उक्त बैठक में सूचनायें भी साथ में लाने का निर्देश निदेशक, महोदय द्वारा दिया गया था। आपके जिले से एजेण्डावार मांग की गयी थी, उक्त के सापेक्ष जनपदीय प्रशिक्षण के 10 फोटोग्राफ तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह अत्यंत ही खेद जनक स्थिति है।

निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सूचना प्रस्तुत करें और साथ ही पूर्ण रूप से सूचना प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

भवदीय

(डा0 ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक 127 /इपीडी0/ग्लैण्डर्स/2017–18 दिनांक 19.5.17

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, वाराणसी/आजमगढ़/बस्ती एवं मिर्जापुर पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर आपरेटर को इस आशय से प्रेषित कि वह मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के ई–मेल तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।